कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे
College of Agricultural Banking, Pune

"सीएबी कॉलिंग": "वित्तीय समावेशन सुदृढ़ीकरण : सहकारिता की भूमिका" पर विशेष संस्करण के लिए शोधपत्र का अनुरोध

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), भारतीय रिजर्व बैंक, पुणे, विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की गई प्रतिष्ठित त्रैमासिक पत्रिका "सीएबी कॉलिंग" प्रकाशित करता है। इस पत्रिका में कॉर्पोरेट प्रशासन, नेतृत्व, साइबर सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, कृषि/लघु व्यवसाय वित्त, विनियामक अनुपालन, मानव संसाधन प्रथाओं, डिजिटलीकरण और सहकारी बैंकिंग पर विशेष ध्यान देने के साथ विकासात्मक वित्त से संबंधित समकालीन विषयों पर लेख शामिल होते हैं।

जैसा कि आपको विदित होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया है, जिसमें सतत विकास में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने और सामुदायिक प्रत्यास्थता को मजबूत करने के माध्यम से आज की वैश्विक चुनौतियों के लिए आवश्यक समाधान के रूप में उनकी स्थिति को दर्शाया गया है।

भारत में वित्तीय समावेशन को मजबूत करने में सहकारी संस्थाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, इस वर्ष "वित्तीय समावेशन सुदृढ़ीकरण : सहकारिता की भूमिका" शीर्षक से "सीएबी कॉलिंग" का एक विशेष संस्करण जारी करने की योजना बनाई गई है। इस विषय पर सूचक विषयों की सूची अनुलग्नक में दी गई है।

विशेष संस्करण के लिए अपने लेख साझा करने में रुचि रखने वाले संभावित लेखकों को सहकारी क्षेत्र द्वारा वित्तीय समावेशन से संबंधित क्षेत्रों पर अपने दृष्टिकोण साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक व्यक्ति इसे संपादक, सीएबी कॉलिंग, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, आरबीआई, पुणे को भेज सकते हैं। ईमेल: cabcalling@rbi.org.in । कोई प्रकाशन शुल्क नहीं है, और हम पत्रिका में प्रकाशन के लिए चुने गए शोधपत्रों के लेखकों को 4000/- रुपये का मानदेय प्रदान करते हैं। शोधपत्र 31 जुलाई, 2025 को शाम 06:00 बजे या उससे पहले जमा किए जा सकते हैं।

लेख की लंबाई MS-Word में टाइप किए गए लगभग 4000 से 7000 शब्दों की होनी चाहिए, 1.5-स्पेस, एरियल 12 फ़ॉन्ट में जस्टिफाइड। सभी आंकड़े, तालिकाएँ, फ़ुटनोट, आदि को उचित रूप से रखा जाना चाहिए और संदर्भित किया जाना चाहिए। कीवर्ड और जेईएल वर्गीकरण के साथ लगभग 150-200 शब्दों का एक सार शामिल किया जाना चाहिए। पांडुलिपि के पहले पृष्ठ पर केवल लेख का शीर्षक और लेखक का विवरण होना चाहिए। अनामिता के लिए सार सहित मुख्य पाठ दूसरे पृष्ठ से शुरू होना चाहिए और पेपर के किसी भी भाग में लेखक की कोई जानकारी शामिल नहीं की जानी चाहिए।

प्रारंभिक संपादकीय जांच और प्लेजरिज़्म जांच के बाद यदि आवश्यक हो तो शोधपत्रों को प्रकाशन से पहले डबल-ब्लाइंड सहकर्मी समीक्षा और संशोधन किया जाता है। संदर्भ के लिए पत्रिका के पहले के अंकों के फ़्लायर सीएबी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। पांडुलिपि के प्रारूपण पर दिशा-निर्देशों सहित लेखकों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश फ़्लायर के हिस्से के रूप में दिए गए हैं। फ़्लायर निचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है:

https://rbi.org.in/hi/web/cab/cab-calling-publications-details?category=123049650
https://rbi.org.in/hi/web/cab/cab-calling-publications-details?category=44153845

अधिक स्पष्टीकरण के लिए पत्रिका के कार्यकारी संपादक का संपर्क विवरण नीचे दिया गया है।

डॉ. के सुब्रमनियन, एम.टेक., पीएच.डी.
उप महाप्रबंधक और संकाय सदस्य,
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे
दूरभाष: 8778958990 (अंतर्राष्ट्रीय लेखक '+91' कोड लगा सकते हैं)
ईमेल: cabcalling@rbi.org.in;
ksubramanian@rbi.org.in

अनुलग्नक: “वित्तीय समावेशन सुदृढ़ीकरण : सहकारिता की भूमिका” विषय के अंतर्गत सूचक विषय

1. सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रवाह का सुदृढ़ीकरण
2. महिलाओं के वित्तीय समावेशन का सुदृढ़ीकरण
3. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) जैसे आजीविका समूहों को ऋण देकर गरीबी को समृद्धि में बदलना
4. वित्तीय साक्षरता के माध्यम से ग्राहकों का सशक्तिकरण
5. किसान उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना
6. डिजिटल माध्यमों से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार
7. कम आय वाले परिवारों के लिए बीमा और पेंशन के माध्यम से वित्तीय प्रत्यास्थता
8. अन्य संबंधित विषय

***